समाहरणालय, लखीसराय

{ जिला नजारत शाखा }

अल्पकालीन निविदा संख्या–01 / 2018–19

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पत्रांक 2641 / र0का0 दिनांक 11.11.2018 द्वारा लखीसराय जिला अन्तर्गत प्रत्येक थानों में चार पहिया वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यथा– बोलेरो / सूमो गोल्ड / सूमो विक्टा / स्कॉर्पियो भाड़े पर लेने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक वाहन मालिक / एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा की रसीद, जी0एस0टी0, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण पत्र आदि) के साथ दिनांक 17 / 12 / 2018 के 02:00 बजे अपराह्न तक अपनी निविदा जिला नजारत शाखा, लखीसराय में दे सकते है। उसी दिन 03:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में देंगे।

निविदा की शर्त्तें :–

1. वाहन का वाणिज्यिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन की बीमा अद्यतन होना चाहिए।
3. वाहन का अद्यतन कर भुतगान होना चाहिए।
4. वाहन 2016 अथवा इसके बाद का होना चाहिए। 2016 के पहले का वाहन नहीं लिया जाएगा।
5. निविदादाता को 10,000 रू0 (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता अपने पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करे।
7. निविदादाता द्वारा अद्यतन दाखिल आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न की जाएगी।
8. निविदादाता यदि एजेंसी है तो जी0एस0टी0 निंबधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति संलग्न की जाए।
9. निविदादाता को काली सूची में शामिल न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

सामान्य शर्तें :–

1. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
2. भाड़े पर वाहन लिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय से वाहन मालिक को वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा।
3. वाहन के भाड़े की दर प्रतिमाह के आधार पर चालक सहित अंकित करना होगा।
4. वाहन 24 घंटे चालक सहित पुलिस प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। अगर वे ऐसा नही करते है तो उस माह के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
5. उपुर्यक्त शर्त्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम दर प्रदाता निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
6. सरकारी कार्यालय के वाहन आपूर्त्ति किये जाने संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय आपूर्त्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सरुक्षित रहेगा।
8. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
9. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती श्रोत पर की जायेगी।
10. निविदा दिनांक 17.12.2018 के 02:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदा को जिले के वेबसाईट lakhisarai.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र –I

कमांक	वाहन के विर्निमाता कंपनी का नाम	वाहन का प्रकार एवं मॉडल संख्या	कय वर्ष	निंबधन संख्या	व्यवसायिक रूप से निबंधित है या नहीं?	बीमा की वैधता अवधि	कर भुगतान की वैधता अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

वित्तीय निविदा हेतु प्रपत्र – II

निविदादाता का नाम	गाड़ी का प्रकार	मासिक भाडे की दर रूपये में (ईंधन रहित)	अभ्युक्ति
		चालक सहित	
	बेलोरो		
	सूमो गोल्ड		
	सूमो विक्टा		
	स्कॉर्पियो		

निविदादाता का हस्ताक्षर